सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022 / 180 दर्ज दिनांक : 21.09.2022

1. ताराचन्द पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. मनीराम पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
2. भगवती पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
3. सन्तोष पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
4. मनोज पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
5. रविन्द्र रणवां पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
6. वन्दना पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हीरालाल मंडार
प्रतिवादी श्री अभिषेक सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 16.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–88, 188 वास्ते घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. डूंगरराम पुत्र सुरजाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 155 / 3.07686 हैक्ट., खसरा संख्या 540 / 12.7349 हैक्ट., व खसरा संख्या 681 / 145 / 6.8923 हैक्ट. कुल 23.395[illegible] ...के रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू में स्थित हैं। खातेदार डुंगरराम का [illegible] ... उनकी पत्नी इमरती देवी का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। दोनों की मृत्यु [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं वा सभी स्वर्गीय डुंगरराम पुत्र सुरजाराम के वारिसान हैं जिनकी वंशावली निम्नानुसार हैं :–

स्व. डुंगरराम पुत्र स्व. सुरजाराम

इमरतीदेवी	ताराचन्द	जगदीशप्रसाद	मनीराम	भगवतीदेवी	सन्तोष	मनोज
पत्नी	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री
फौत	मौजूद	फौत	मौजूद	मौजूद	मौजूद	मौजूद

जगदीशप्रसाद:

रविन्द्र	वन्दना	असमान
पुत्र	पुत्री	पत्नी
मौजूद	मौजूद	फौत

3. वादी व प्रतिवादीगण स्व. डुंगरराम के वारिसान हैं वा हिन्दु उतराधिकार अधिनियमके अनुसार वादी ताराचन्द व प्रतिवादी मनीराम स्व. जगदीश, भगवती, सन्तोष, मनोज सभी बहिस्सा बराबर 1/6, 1/6 के खातेदार काश्तकार हैं। स्वर्गीय जगदीश के 1/6 हिस्सा के प्रतिवादी रविन्द्र व वन्दना खातेदार काश्तकार हैं।

4. प्रतिवादी सं. 2 ता 4 भगवती, सन्तोष व मनोज तीनों स्व. डुंरराम की पुत्रियां हैं जो शादीशुदा हैं व अपने–अपने ससुराल में रहती हैं व इन्होंने अपनाहिस्सा वादी ताराचन्द प्रतिवादीगण संख्या 1 वा प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हक में छोड़ दिया हैं इसलिये इस सम्पूर्ण कृषि भूमि के वादी वा प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 5 व 6 ही खातेदार व काश्तकार हैं। स्व. डुंगरराम की पत्नी इमरती देवी का स्वर्गवास उनके जीवनकाल में दिनांक 13.04.2004 को हो चुका हैं वा स्व. जगदीश प्रसाद पुत्र डुंगरराम की पत्नी असमान का स्वर्गवास भी उनके जीवनकाल में दिनांक 07.01.1998 को हो चुका हैं। इस प्रकार स्वर्गीय डुंगरराम की ऊपरवर्णित खातेदारी कृषि भूमि के वादी वा प्रतिवादीगण सं. 1 वा 5 एवं 6 ही खातेदार काश्तकार हैं।

5. दावा में वर्णित कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 एवं 6 ही मौके पर काश्त करते हैं व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 5 एवं 6 का ही इस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 शादीशुदा हैं जो अपने ससुराल में परिवार सहित रहती हैं।

6. प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 का दावा में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं हैं लेकिन ये स्व. श्री डुंगरराम के वारिस होने के कारण स्व. डुंगरराम के स्थान पर इस कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने वा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाकर दीगर लोगों को कृषि भूमि विक्रय, दान रहन आदि प्रकार से हस्तांतरित करने पर आमदा हैं वा कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकियां दे रही हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 2, [illegible] खिलाफ वादी चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

7. दावा में राजस्थान सरकार को [illegible] पक्षकार बनाया गया हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 राज[illegible] कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

8. दावा में वर्णित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं इसलिये दावा सुनवाई हेतु न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं इसलिये दावा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि दावा में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 155 / 3.07686 हैक्ट., खसरा संख्या 540 / 12.7349 हैक्ट., व खसरा संख्या 681 / 145 / 6.8923 हैक्ट. कुल 23.3958 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 कुल 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उपरोक्त अनुसार खातेदारी दर्ज की जावें।

(ख) चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के खिलाफ इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 155 / 3.07686 हैक्ट., खसरा संख्या 540 / 12.7349 हैक्ट., व खसरा संख्या 681 / 145 / 6.8923 हैक्ट. कुल 23.3958 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के किसी भी भाग की दीगर व्यक्तियां को विक्रय, रहन, दान आदि किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो वह भी दिलवाया जावे।

9. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक सैनी ने वकालतनामा पेश जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्व. जगदीश के वारिसान होने से जगदीश के हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज न किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार चूरू औपचारिक पक्षकार बनाया जाने के कारण तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते का कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द हुई। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर सीधे अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

10. अधिवक्ता वादी ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि घोषित किया जावे कि दावा में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 155 / 3.07686 हैक्ट., खसरा संख्या 540 / 12.7349 हैक्ट.,व खसरा संख्या 681 / 145 / 6.8923 हैक्ट. कुल 23.3958 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 कुल 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उपरोक्त अनुसार खातेदारी दर्ज की जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्व. जगदीश के वारिसान होने से जगदीश के हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। [illegible] का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज न किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

11. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान [illegible] पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् अंतिम चौसाला [illegible] जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अव[illegible]कन पाया गया कि संयुक्त आराजी

खसरा संख्या 155/3.07686 हैक्ट., खसरा संख्या 540/12.7349 हैक्ट., व खसरा संख्या 681/145/6.8923 हैक्ट. कुल 23.3958 हैक्ट. वाके रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी के पिता डूंगरराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा पूर्ण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिनकी मृत्यु के पश्चात् भी खातेदारी उनके नाम से ही चली आ रही है। स्व. डूंगरराम की पत्नी इमरती देवी का देहान्त हो चुका है। जिनका मृत्यु प्रमाण—पत्र संलग्न किया गया है। उनकी मृत्यु उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण उनके वैधानिक वारिस हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 विवाहित पुत्रियाँ हैं जो अपने—अपने ससुराल में निवासरत हैं तथा भूमि पर उनका कोई कब्जा या काश्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर हिस्सेदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6, स्व. जगदीश प्रसाद के वारिस होने से उनके हिस्से के खातेदार हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाने का समर्थन किया गया इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किये जाने आदेश दिया जाता है। अभिलेखों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विवादित कृषि भूमि स्व. डुंगरराम की खातेदारी थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वास्तविक कब्जाधारी व काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 एवं 6 हैं। यह वाद वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, जमाबंदी रिकॉर्ड, पक्षकारों के कथन एवं अधिवक्ताओं की बहस पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी का वाद तथ्यों एवं कानून के अनुरूप है और स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः

आदेश

वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू, तहसील व जिला चूरू स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 3.07686 हैक्टेयर, खसरा संख्या 540 रकबा 12.7349 हैक्टेयर व खसरा संख्या 681 रकबा 6.8923 हैक्टेयर कुल किता 3, कुल रकबा 23.3958 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकार अन्तिम रूप से वादी ताराचन्द 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी मनीराम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रविन्द्र व वन्दना (संयुक्त रूप से) 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 (भगवती, सन्तोष एवं मनोज) द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का जो परित्याग (हक त्याग) वादी तथा अन्य खातेदारों के पक्ष में किया गया है, उसके एवज में देय परित्याग की राशि, नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क सहित, उप—पंजीयक कार्यालय, चूरू में विधिवत रूप से जमा/पंजीकृत करवाई जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर खातेदारी प्रविष्टियाँ दर्ज की जावे।

पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022/180 दर्ज दिनांक : 21.09.2022

1. ताराचन्द पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. मनीराम पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
2. भगवती पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
3. सन्तोष पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
4. मनोज पुत्री स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
5. रविन्द्र रणवां पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
6. वन्दना पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद स्व. डुंगरराम जाति जाट निवासी खण्डवा पट्टा चूरू तहसील व जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हीरालाल मंडार
प्रतिवादी श्री अभिषेक सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू, तहसील व जिला चूरू स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 3.07686 हैक्टेयर, खसरा [illegible] खसरा संख्या 681 रकबा 6.8923 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 23.3958 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकार अन्तिम रूप से वादी ताराचन्द 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested

मनीराम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी रविन्द्र व वन्दना (संयुक्त रूप से) 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 (भगवती, सन्तोष एवं मनोज) द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का जो परित्याग (हक त्याग) वादी तथा अन्य खातेदारों के पक्ष में किया गया है, उसके एवज में देय परित्याग की राशि, नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क सहित, उप–पंजीयक कार्यालय, चूरू में विधिवत रूप से जमा करवाई जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर खातेदारी प्रविष्टियाँ दर्ज की जावें।

यह डिक्री आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:21 IST
Reason: SelfAttested